बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

अधिसूचना

अधिसूचना संख्याः– 2/अ0प्र0–1–343/2017 1333 /पटना, दिनांक :–14.9.21

श्री संग्राम हेम्ब्रोम, तदेन सहायक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, महाराजगंज संप्रति सहायक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, शेखपुरा के विरूद्ध कार्य प्रमंडल महाराजगंज अंतर्गत पी0एम0जी0एस0वाई0 के तहत T02 बंसतपुर पथ के सतह में Roughbess एवं विभिन्न सतहों में पायी गयी मोटाई में कमी संबंधी आरोपों पर आरोप पत्र गठित कर अधिसूचना सं0–2982 सह पठित ज्ञापांक–2983 दिनांक–18.12.2018 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के निमय 14 एवं 17 के तहत मुख्य अभियंता–3, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के अधीन विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी।

2. संचालन पदाधिकारी के पत्रांक–2677 अनु0 दिनांक–20.03.2019 के माध्यम से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन में श्री हेम्ब्रोम के पदस्थापन अवधि में pcc Pavement भाग(1000मीटर) के मात्र 400 मीटर में कार्य होने एवं बी0टी0 भाग में कोई कार्य इनके पदस्थापन अवधि में नहीं होने के आधार पर श्री हेम्ब्रोम के विरूद्ध गठित आरोपों को अप्रमाणित पाया गया। संचालन पदाधिकारी के जॉच प्रतिवेदन पर समीक्षोपरांत आलोच्य पथ के संबंध में कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, महाराजगंज से अद्यतन प्रतिवेदन की मांग की गयी।

3. कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, महाराजगंज से प्राप्त प्रतिवेदन में उल्लेख किया गया है कि आलोच्य पथ में CC Pavement में उत्पन्न Roughness का सुधारात्मक कार्य करा दिया गया है तथा कालीकरण भाग में विशिष्टियों के अनुरूप सुधारात्मक कार्य करा दिया गया है। पथ की जॉच SQM द्वारा किया गया है, जिसमें राज्य गुणवत्ता अनुश्रवक, ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा पथ कार्य को संतोषजनक करार दिया गया।

4. कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, महाराजगंज से प्राप्त उक्त प्रतिवेदन के आलोक में मामले की समीक्षोपरांत संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जॉच प्रतिवेदन से सहमत होते हुए श्री हेम्ब्रोम, सहायक अभियंता को आरोप मुक्त करने का निर्णय लिया गया।

5. अतएव उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में श्री संग्राम हेम्ब्रोम, तदेन सहायक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, महाराजगंज सम्प्रति सहायक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, शेखपुरा को प्रतिवेदित आरोपों से मुक्त किया जाता है।

प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

13.9.21

(कृष्ण मोहन सिंह)

उप सचिव

Phone-0612-2545191 Fax-0612-2545322, Website:- http//rwdbihnic.org, E-mail : secretaryrwdbihar@gmail.com , secy-reo-bih@nic.in

ज्ञापांक :–2/अ0प्र0–1–343/2017 1334 /पटना, दिनांक :– 14.9.21

प्रतिलिपि :– सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग/मुख्य अभियंता–3, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, सीवान/कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, महाराजगंज/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–5/6, ग्रामीण कार्य विभाग/श्री संग्राम हेम्ब्रोम, तदेन सहायक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, महाराजगंज संप्रति सहायक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, शेखपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

13.9.21

उप सचिव

ज्ञापांक :–2/अ0प्र0–1–343/2017 1334 /पटना, दिनांक :– 14.9.21

प्रतिलिपि :– माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग के आप्त सचिव को माननीय मंत्री के अवलोकनार्थ प्रेषित।

13.9.21

उप सचिव

ज्ञापांक :– 2/अ0प्र0–1–343/2017 1334 /पटना, दिनांक :– 14.9.21

प्रतिलिपि :– आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

13.9.21

उप सचिव